न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 62 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. उम्मेदाराम पुत्र श्री सोनाराम जी जाति चौधरी, साकिन बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भगवतीदेवी पत्नी श्री बाबूलाल जी जाति पालीवाल, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा।
2. पुष्पा पत्नी नरेन्द्रकुमार जी जाति चौधरी, निवासी टापरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।		2.बाबूलाल पुत्र श्री दुर्गाराम जी जाति पालीवाल, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा।
		3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 235/2012 बअनवान उम्मेदाराम वगैरा बनाम भगवतीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेलाराम कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जेठाराम सिंहल रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 30.05.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बिठूजा तहसील पचपदरा में कृषि भूमि खसरा संख्या 687/66 रकबा 07.10 बीघा स्थित है जिसके अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटगण सह खातेदार है तथा उनका हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। अपीलांट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जोत के विभाजन का वाद पेश किया। जिसका प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया जिसका जबाबुल जबाव अपीलांट/वादीगण की ओर से पेश किया गया। लम्बित वाद में प्रतिवादीगण की और से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी पेश कर दावे को खारिज करने की मांग की गई जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकार कर दी गई। आदेश 07 नियम 11 के प्रावधान दावे को शोर्टकट तरीके से खारिज करने हेतु नहीं बनाया गया जब वाद में तथ्यात्मक एवं कानून सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दू विचाराधीन है जिनका निस्तारण बाद शहादत ही किया जाना है तो प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में वर्णित आधारों पर वाद को खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय की मंशा वाद में गुणावगुण पर निर्णय करने की थी ही नहीं बल्कि उन्होंने मनमाने ढंग से दावे को खारिज कर पत्रावली को निर्णित कर विधि के स्थापित सिद्धांत के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण की और से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी पेश कर दावे को खारिज करने की मांग की गई जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकार कर दी गई। आदेश 07 नियम 11 के प्रावधान दावे को शोर्टकट तरीके से खारिज करने हेतु नहीं बनाया गया जब वाद में तथ्यात्मक एवं कानून सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दू विचाराधीन है जिनका निस्तारण बाद शहादत ही किया जाना है तो प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में वर्णित आधारों पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय की मंशा वाद में गुणावगुण पर निर्णय करने की थी ही नहीं बल्कि उन्होंने मनमाने ढंग से दावे को खारिज कर पत्रावली को निर्णित कर विधि के स्थापित प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

DNJ 2011(3)(Raj.) Page 1066
DNJ 2017(1)(Raj.) Page 136
DNJ 2016(3)(Raj.) Page 1208
DNJ 2016 (SC) Page 644
DNJ 2015(4)(Raj.) Page 1765
RRT 2016(1) Page 508
RRT 2016(2) Page 1360
RRT 2018(2) Page 1425
WLC 1997 Page 431

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आबादी भूमि में दर्ज हो जाने से वादपत्र अदालत श्री के क्षैत्राधिकार व सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं है। जमाबंदी खतौनी से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हिस्से की भूमि को विधि अनुसार आबादी में परिवर्तित कर नगरपरिषद बालोतरा के खाते में दर्ज किया जा चुका है। जिससे वाद चलने योग्य नहीं ठहरता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे एवं अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 27.04.2017 को अपीलाधीन आलोच्य आदेश की नकले प्राप्त होने पर उक्त आदेश का ज्ञान हुआ। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधिवक्ता अपीलांट को आदेश दिनांक 11.04.2017 की जानकारी बखूबी थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का कोई उचित व माकुल कारण नहीं दर्शाये हैं एवं जो कारण दर्शाये गये हैं, वे मनगढंत व झूठे हैं। अपीलांट किसी भी रूप से सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 59 खसरा संख्या 687/66 रकबा 07.10 बीघा में नामातरण संख्या 2675 से "उम्मेदाराम पुत्र सोनाराम कौम कलबी साकिन बालोतरा 30/150, पुष्पादेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार चौधरी साकिन टापरा 80/150, नगरपरिषद बालोतरा की खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि के संबंध में तथ्य यह है कि संपूर्ण भूमि पर पक्के निर्माण होकर कपड़ा धुलाई की फेक्ट्रीयां संचालित हो रही है और इसमें से 02 बीघा भूमि नगरपरिषद बालोतरा के खाते में दर्ज हो चुकी है, शेष 05.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

10 बीघा पर दीगर व्यक्ति काबिज हैं। मौके पर अपीलांटगण की भूमि पर अवैध कब्जा है, परन्तु इस बाबत अपीलांटगण ने कोई उज्रदारी या दावा बेदखली बाबत नहीं किया। जब तक अपीलांटगण खातेदार का कब्जा नहीं हो जाता तब तक जोत विभाजन के लिए निर्धारित राजस्थान टिटनेन्सी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 20(5) की पालना नहीं हो सकती। मौके पर अपीलांट के खाते की 05.10 बीघा भूमि के अलावा भूमि का उपयोग गैर कृषि होना एवं नगरपरिषद बालोतरा के खाते में जाना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह उचित है। अपीलांटगण चाहे तो अपनी खातेदारी भूमि से अवैध कब्जे धारियों की बेदखली हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अपनी भूमि हासिल कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील अस्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 235/2012 बअनवान उम्मेदाराम वगैरा बनाम भगवतीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 को यथावत रखा जाता है।

30/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बीरहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner